रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 922] नई दिल्ली, बुधवार, मई 16, 2012/वैशाख 26, 1934

No. 922] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 16, 2012/VAISAKHA 26, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2012

का.आ. 1122(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1035(अ), दिनांक 07/05/2010 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के 246.200 कि.मी. से 298.075 कि.मी. तक के खण्ड (जयपुर-रींगस खण्ड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है ;

और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम (1988 का 68) की धारा 14 के उपबंधों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने, मैसर्स जेआर टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, जो 16-07-2009 को प्रस्तुत की गई बोली के सफल बोलीदाता हैं और जिनका रजीस्ट्रीकृत कार्यालय एच ब्लॉक, प्रथम तल, धीरूभाई अम्बानी नॉलेज सिटी, नवी मुम्बई-400710 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'रियायतग्राही' कहा गया है) के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 के 246.300 कि.मी. से 298.075 कि.मी. तक (जयपुर-रींगस खण्ड) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त खण्ड' संदर्भित किया गया है) उक्त खण्ड का चार लेन के मानकों के अनुसार विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु करार (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त करार संदर्भित किया गया है) किया है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'नियम' संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन में हुए व्यय, निवेशित पूँजी पर

ब्याज, युक्तियुक्त वापसी , यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि 52.650 कि.मी. निवल सड़क खण्ड के चार लेन के खण्डों के उपयोग हेतु नीचे सारणी 1 में निर्दिष्ट प्रकार के यानों पर सारणी 1 के कॉलम (2) में निर्दिष्ट आधार दरों पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'आधार दर' संदर्भित किया गया है) शुल्क उद्गृहीत और संग्रहीत किया जाएगा और रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, समापन की तारीख तक शुल्क का संग्रहण करने और उसे अपने पास प्रतिधारित करने के लिए, प्राधिकृत करती है :

सारणी 1

यान का श्रेणी	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार दर (रुपये में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर यान	0.65
हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के मालवाहक अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो एक्सलवाले)	2.20
भारी निर्माण सामग्री (एचसीएम) अथवा मिट्टी खोदने के उपकरण (इएमइ) अथवा मल्टी एक्सल यान (एमएवी) (तीन से छह एक्सलवाले)	3.45
विशाल आकार वाले यान (सात या अधिक एक्सल वाले)	4.20

टिप्पण :-

1. नीचे लगाया गया तथा संग्रहीत शुल्क देय और ऐसे टोल प्लाजा के लिए निर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगा :

टोल प्लाजा का अवस्थिति (लोकेशन) (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
रारा-11 पर 257.00 कि.मी. (जयपुर जिले में ततियावास गांव के पास)	52.650

2. वर्ष 2007-08 के लिए, स्थानीय निजी यातायात के संबंध में मासिक पास की दर 150.00/- रुपये (एक सौ पचास रुपये मात्र) है जो राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण के अध्यधीन है ।

3. राजमार्ग खण्ड पर बहु-यात्रा (मल्टीपल जर्नी) के लिए पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थात्-

संदेय राशि	अनुज्ञात एक मार्गीय (वनवे) यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एक मार्गीय यात्रा (वन वे जर्नी) के लिए शुल्क का डेढ़ गुना.	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे

पचास एकल यात्राओं (सिंगल जर्नीज) के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाइ	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

4. जो यांत्रिक यान (मेकेनिकल व्हीकल्स) नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के यानों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक यान से अधिक भार को हटा न दिया जाए ।

5. यांत्रिक यानों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूटप्राप्त यानों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक रोड आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी ।

6. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोक्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को संप्रदर्शित किया जाएगा ।

7. उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार, शुल्क की दरों में वार्षिक रूप से पुनरीक्षण किया जाएगा परन्तु यह कि छह महीने के भीतर कोई पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/518/सीओ/11-12/जीसी-रींगस (जयपुर रींगस) बीओटी]

बी. बी. महापात्र, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2012

S.O. 1122(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1035 (E), dated 07/05/2010 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 246.200 to kilometer 298.075 [Jaipur – Reengus Section), of National Highway No. 11 in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act (68 of 1988) the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with [M/s JR Toll Road Private Ltd.] having its registered office [H Block, 1st Floor, Dhirubhai Ambani Knowledge City, Navi Mumbai – 400 710] (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 16/07/2009 for the development of [Jaipur - Reengus Section) from kilometer 246.300 to kilometer 298.075 of National Highway No. 11 (hereinafter referred to as the "said section") to four lane standards and operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length 52.650 km for use of the four lane sections (hereinafter referred to as "base rate") on the Type of Vehicles specified in Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Notes: -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
km 257.000 on NH-11(near Tatiyawas village(s) in Jaipur district)	52.650

2. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 150 (Hundred and Fifty) for the year 2007-08 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
3. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely-

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment